राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008 (69)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/436 दिनांक : 19/04/17

श्री ज्ञानेश कुमार,
दी नैशन इंटरेस्ट पोस्ट,
4/209 बी, चित्रकूट, वैशाली नगर,
जयपुर।
मो. 9828346151,
ईमेल– gyanesh710@gmail.com

विषय: दैनिक भास्कर जयपुर, में प्रकाशित खबर शीर्षक "भामाशाहःकम्पनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया" के सम्बन्ध में।

संदर्भ: संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदना क्रमांक 03170532186193 दिनांक 20.03.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में लेख है कि उक्त दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक "भामाशाहःकम्पनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया" के सम्बन्ध में सक्षम स्तर द्वारा जांच कराकर तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधित उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जा चुकी है तथा समुचित समाधान किया जा चुका है। सरकार जनहित की सुरक्षा एवं बेहतर सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

(भारती दीक्षित)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (69)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/436 दिनांक : 19/04/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ई–मेल करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी

Rajasthan Sampark
Government of Rajasthan

Grievance Details of 03170532186193 / 20-Mar-2017

Details

Name	GYANESH KUMAR S/D/O PRABHU DAYAL	Gender	Male
Mobile No	9828346151	Phone No	
Personal ID	Voter Id Card	ID Number	xiu/417113
Address	Nation Interest 4/209 B ,chitrakoot, vaishalinagar, Jaipur, Rajasthan, India		
Pincode	302021	Receipt No	-
Email ID	gyanesh710@gmail.com	SSO ID	GYANESH710

Grievance Registration Details

Grievance Entry Source	Web		
Registered At Event	-	Jansunvai ID & Description	-
Detail Received Through	-	Respective Detail	-
Originating Office Authority	-	Originating Authority officer Name	
Received Under	-	Provision Name	
Event By	-	Event Date	-
Grievance Receipt Mode	By Citizens	Entry Mode	Online Entry

Grievance Details

Grievance Type	Grievance	Priority	Within 15 Days
Grievance Category	Public	Grievance Issue	Miscelleneous/Others
Grievance Area (Rural/Urban)	Urban	**District** Jaipur	**City/Town** Jaipur
		Ward Ward No - 19	
Complaint Area Address	Nation Interest 4/209 B ,chitrakoot, vaishalinagar		
Subject	Complaint Against Insurance Agency		
Description	दैनिक भास्कर जयपुर, में प्रकाशित खबर शीर्षक "भामाशाह:कम्पनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया" के सम्बन्ध में		
Relief Required	संलग्न दस्तावेजानुसार		
Received Through	Citizen	Concern Department	**Medical & Health**
Previous Grievance Reference Id	No	**Owner Department**	**Medical & Health**
Reminder Date		Moderated	Yes
Attached Document		Moderated By	Medical & Health - Director - Director Public health
Moderation Category	Implementable But	Project	**Bhamashah Swasthya**

Grievance Age	Require Time	Bima Yojana
	N/A	

Grievance Link Details

Citizen Document Section

Download All

Sr. No.	Document Name	Uploaded By	Uploaded For	Uploaded On	File Size	Attachment
1	pariwaad_final.pdf	GYANESH KUMAR S/D/O PRABHU DAYAL	Grievance Registration	20-Mar-2017	943 KB	

Action History

Action History						
#	From	To	Action	Date	Remarks	Doc.
Complaint Against Insurance Agency						
1	GYANESH KUMAR / 9828346151	-	Grievance Registered	20-Mar-2017	Grievance Registered on 20-Mar-2017	-
2	Medical & Health , Director , (Public Health) , Director Public health	-	Moderated (Implementable But Require Time - Within 15 Days)	23-Mar-2017	Grievance Moderated on 23-Mar-2017	-
3	Medical & Health , Director , (Public Health) , Director Public health	Medical & Health , Nodal Officer , (BSBY) , MD NHM	Allocated	23-Mar-2017	Submitted for review, necessary actions and entry of clear disposal remarks.	-

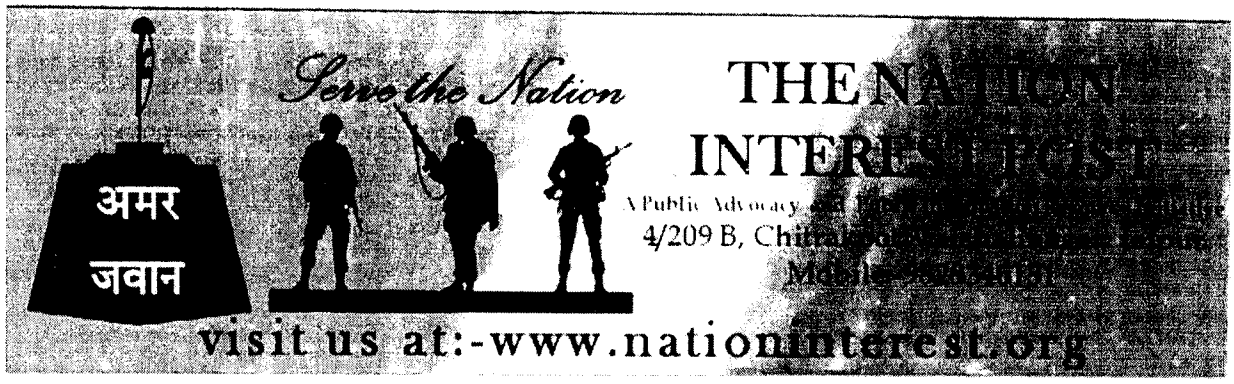

जन-याचिका

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय,
भामाशाह योजना
राजस्थान सरकार

विषय:- दिनांक;12/03/2017 को प्रमुख समाचार पत्र; दैनिक भास्कर जयपुर, में प्रकाशित खबर शीर्षक **"भामाशाह:कम्पनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया"** के सम्बन्ध में|

सन्दर्भ:-लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाचार पत्रों में प्रकाशित जन हित/नकारात्मक व आलोचनात्मक खबरे,सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता,जवाबदेही तथा नागरिक समाज की भूमिका|

जन याचिका का क्षेत्र:- जिला जयपुर|

महोदय,

सम्बंधित जन याचिका का संक्षिप्त विवरण:-

राज्य के प्रमुख समाचारपत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से यह प्रकाश में आया है कि भामाशाह योजना के लिए काम कर रही कम्पनी(न्यू इण्डिया इंश्योरेंस) ने अपना मुनाफा बढाने के लिए जहाँ अस्पतालों को डी-पेनल्ड कर दिया हैवही अब वह योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परिवेदना समिति के अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार कर रही है|जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है|

24/03/2017

उक्त विषय में आपसे अपेक्षित है कि:-

1. राज्य सरकार के **आदेश क्रमांक:निस/सूजस/2012/3375-434 दिनांक 12/03/2012** के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित जन हित/नकारात्मक और आलोचनात्मक ख़बरों की **पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट** आम जन को उपलब्ध कराएं|
2. यही उक्त खबर में वर्णित तथ्य ठोस और प्रामाणिक है तो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए यदि आवश्यक हो तो, सम्बंधित दोषी लोक सेवकों/व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध सम्बंधित प्रभावी कानूनों के अंतरगर्त उचित और त्वरित कार्यवाही करते हुए, सम्बंधित प्रकरण का उचित निस्तारण कर सूचित करने की कृपा करें| जिससे आम जन में शासन के प्रति विश्वास कायम हो सके|
3. यदि प्रारंभिक जाँच से उक्त खबर आपको असत्य/गलत/ भ्रामक या मिथ्या प्रतीत होती है या आप उक्त खबर से सहमत नहीं है और लगता है कि किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है तो इसी अनुरूप सम्बंधित दस्तावेजों सहित अपने पक्ष से हमें तथा सम्बंधित समाचार पत्र को अवगत करावें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की भ्रामक या मिथ्या खबरों से आम जन में सरकार की छवि खराब ना होवें|

||धन्यवाद||

भवदीय

ज्ञानेश कुमार

दिनांक:-20/03/2017

9828346151

स्थान :-जयपुर

संलग्न:- सम्बंधित समाचार में प्रकाशित समाचार की प्रति|

60 दिनों में बचाए लाखों रुपए। मरीजों को निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज

भामाशाह : कंपनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया

कलक्टर के आदेश पर भी नहीं लिया वापस

संदीप शर्मा | जयपुर

12/03/17/DB/04

भामाशाह योजना के लिए काम कर रही कंपनी (न्यू इंडिया इंश्योरेंस) ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जहां अस्पतालों को डी-पेनल्ड कर दिया है वहीं अब वह योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परिवेदना समिति के अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार कर रही है। नतीजतन जहां मरीजों को इलाज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं वहीं योजना पर सवालिया निशान लगने लगे है। कंपनी की ओर से पिछले तीन महीनों में प्रदेश भर के 56 अस्पतालों को डी-पेनल्ड किया गया। इन अस्पतालों ने परिवेदना समिति में अपील की। समिति अध्यक्ष ने सभी मामलों को सुनकर कंपनी को करीब 25 अस्पतालों को फिर से जोड़ने के आदेश दिए। लेकिन कंपनी ने 11 दिन बाद भी अस्पतालों को योजना में नहीं जोड़ा है। मनमानी के चलते कंपनी इन साठ दिनों में लाखों रुपए बचा चुकी है।

24 घंटे में जोड़ने के थे आदेश दो दिन में भी नहीं जोड़े

परिवेदना के समय अस्पतालों ने अपना पक्ष रखा, जिसे सुनने के बाद जिला कलक्टर ने कंपनी को आदेश दिए कि अस्पतालों को फिर से योजना में 24 घंटे में जोड़ा जाए और इसकी सूचना दी जाए। लेकिन कंपनी ने दो दिन बाद भी इन अस्पतालों को नहीं जोड़ा है। यहां तक कि जिला कलक्टर 15 दिन पूर्व में भी कई अस्पतालों को जोड़ने के आदेश दे चुके हैं लेकिन अभी तक उन अस्पतालों को भी नहीं जोड़ा गया। ऐसे में मरीज योजना में किसी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते।

कंपनी ने ऐसे बचा लिए लाखों रुपए

कंपनी ने जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में 55 अस्पतालों को नोटिस देते हुए उन्हें अग्रिम आदेश तक इलाज करने से मना कर दिया। एक अस्पताल में भामाशाह के औसतन 10 मरीज भी आते हैं और इलाज नहीं मिल पाने पर अन्य अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी और अन्य कारणों के चलते यदि दो मरीज भी योजना के तहत इलाज नहीं करा पाते तो योजना 110 मरीजों को दस हजार रुपए (कम से कम राशि) के हिसाब से कम से कम एक करोड़ रुपए योजना खर्च करना पड़ रहा है। इस तरह कंपनी पिछले 60 दिन में 60 करोड़ रुपए बचा चुकी है। यदि कंपनी की वजह से एक मरीज भी योजना के तहत इलाज नहीं ले पाता तो भी 60 दिनों में यह राशि 55 लाख रुपए होती है।

कंपनी को आदेश दिए हैं कि जल्दी अपील करे। कई मामलों में लेटर जारी किए गए हैं। ज्यादा तो देखने के बाद ही बता सकता हूं।
नवीन जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह योजना।

इधर, लगा रहे जुड़ने की गुहार

एक ओर कंपनी डी-पेनल्ड कर रही है वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग निजी अस्पतालों को भामाशाह योजना में जुड़ने की गुहार कर रहा है। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने 40 अस्पतालों को पत्र लिखकर भामाशाह योजना में जुड़ने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना से जुड़कर आमजन को बेहतर इलाज देने में सहयोग करें।

कंपनी रिकवरी के साथ लगा सकती है पेनल्टी

यदि किसी अस्पताल की ओर से तकनीकी खामी पाई जाती है तो कंपनी उस पर पेनल्टी लगा सकती है और रिकवरी कर सकती है। डी-पेनल्ड करने से मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। कंपनी की ओर से बिना जांच कराए अस्पतालों को डी-पेनल्ड करना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कलक्टर के आदेशों को नहीं मानना कंपनी की हठधर्मिता को बताता है।

होली के रंगों में पुष्कर बना मिनी इजरायल   दुकान से पकड़ा

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः दैनिक भास्कर दिनांक 12.03.2017 में प्रकाशित समाचार "60 दिन में बचाये लाखों रूपये। मरीजों को निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज, भामाशाहः कंपनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया"

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रेषित समाचार पत्र में प्रकाशित सम्बन्ध में जांच कराई जा कर तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित हैं।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अ.शा. टीप क्रमांक एफ1008 (63)/भा.स्वा.बी.यो./एन.एच.एम/2016–17 195
दिनांक 31.03.2017

उपाध्यक्ष ,
मुख्यमंत्री सलाहकार समिति
योजना भवन, जयपुर

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

तथ्यात्मक टिप्पणी

विषयः दैनिक भास्कर दिनांक 12.03.2017 में प्रकाशित समाचार "60 दिन में बचाये लाखों रूपये। मरीजों को निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज, भामाशाहः कंपनी ने फायदे के लिए अस्पतालों को योजना से हटा दिया"

उपरोक्त प्रकाशित समाचार के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रकाशित समाचार	विभागीय टिप्पणी
	भामाशाह योजना के लिए काम कर रही कंपनी (न्यू इंडिया इंश्योरेंस) ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जहां अस्पतालों को डी–एम्पेनल्ड कर दिया है वहीं अब वह येाजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परिवेदना समिति के अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार कर रही है। नतीजतन जहां मरीजों को इलाज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं वहीं योजना पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। कंपनी की ओर से पिछले तीन महीनों में प्रदेश भर के 56 अस्पतालों को डी–एम्पेनल्ड किया गया। इन अस्पतालों ने परिवेदना समिति में अपील की। समिति अध्यक्ष ने सभी मामलों को सुनकर कंपनी को करीब 25 अस्पतालों को फिर से जोड़ने के आदेश दिए। लेकिन कंपनी ने 11 दिन बाद भी अस्पतालों को योजना में जोड़ा है। मनमानी के चलते कंपनी इन साठ दिनों में लाखो रूपए बचा चुकी है।	यह सही है कि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा योजना प्रारंभ होने से अब तक 21 निजी अस्पताल एक जिला अस्पताल एक उपजिला अस्पताल एवं चार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना से डी–एम्पेनल्ड किया गया। इसके अतिरिक्त 141 निजी अस्पताल ऐसे थे, जिन्होंने संबद्ध होने के बाद भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ नहीं किया था। ऐसे अस्पतालों को योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करने हेतु न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को निर्देशित किया गया था तथा यह भी कहा गया था कि जो अस्पताल कार्य प्रारंभ करने के इच्छुक नहीं हैं उनके यूजर आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दिये जायें। ऐसे 25 निजी अस्पतालों के यूजर आईडी पासवड ब्लॉक किये गये हैं। सरकारी अस्पतालों के संदर्भ में न्यू इंडिया एश्योरेंन्स कंपनी को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के आम जन से जुड़े हुए अस्पताल हैं। अतः इनमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टर या कर्मचारी अनियमितता के लिए दोषी हो सकता है। अस्पताल को असंबद्ध या योजना में कार्य करने से निलंबित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी अस्पताल के बारे में कोई अनियमितता पाई जाती है तो न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क कर चर्चा की जा सकती है ताकि संबंधित डॉक्टर एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 09.03.2017 को आयोजित बैठक में कंपनी के जनरल मैनेजर श्री राकेश कुमार को भी इस संदर्भ में अवगत करा दिया गया था। परन्तु अभी तक भी उपजिला अस्पताल नसीराबाद एवं अन्य चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना से पुनः संबद्ध नहीं किया गया है। यह एक अति गंभीर मामला

क्र.स.	प्रकाशित समाचार	विभागीय टिप्पणी
		है।
	परिवेदना के समय अस्पतालों ने अपना पक्ष रखा, जिसे सुनने के बाद जिला कलक्टर ने कंपनी को आदेश दिए कि अस्पतालों को फिर से योजना में 24 घंटे में जोड़ा जाए और इसकी सूचना दी जाए। लेकिन कंपनी ने दो दिन बाद भी इन अस्पतालों को नहीं जोडा है। यहां तक कि जिला कलक्टर 15 दिन पूर्व में भी कई अस्पतालों को जोड़ने के आदेश दे चुके हैं लेकिन अभी तक उन अस्पतालों को भी नहीं जोड़ा गया। ऐसे में मरीज पसंदीदा निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते।	असंबद्ध किये गये 21 निजी अस्पतालों में से 13 अस्पतालों के प्रकरण में जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी नें निर्णय दिया जा चुका है। परन्तु न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी द्वारा जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना नहीं की जा रही है, क्योंकि आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी 30 दिवस के भीतर राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी में अपील प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रावधान का न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी गलत उपयोग कर रही है तथा अधिकतम समय लेकर राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी में अपील प्रस्तुत कर रही है। अभी तक न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी द्वारा राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी में 9 अपील प्रस्तुत की जिनमें 7 अपीलों का निर्णय अस्पतालों के पक्ष में तथा 2 अपीलों का निर्णय न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी के पक्ष में किया गया है।
	कंपनी ने जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में 55 अस्पतालों को नोटिस देते हुए उन्हें अग्रिम आदेश तक इलाज करने से मना कर दिया। एक अस्पताल में भामाशाह के औसतन 10 मरीज भी आते हैं और इलाज नहीं मिल पाने पर अन्य अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी और अन्य कारणों को चलते यदि दो मरीज भी योजना के तहत इलाज नहीं करा पाते तो रोजाना 110 मरीजों को दस हजार रूपये (कम से कम राशि) के हिसाब से कम से कम एक करोड़ रूपए रोजाना खर्च करना पड़ रहा है। इस तरह कंपनी पिछले 60 दिन में 60 करोड़ रूपए बचा चुकी है। यदि कंपनी की वजह से एक मरीज भी योजना के तहत इलाज नहीं ले पाता तो भी 60 दिनों में यह राशि 55 लाख रूपए होती है।	यदि किसी अस्पताल की ओर से तकनीकी खामी पाई जाती है तो कंपनी उस पर पेलन्टी लगा सकती है एवं रिकवरी कर सकती है। डी–एम्पेनल्ड करने से मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। कंपनी की ओर से बिना जांच कराए अस्पतालों को डी–एम्पेनल्ड करना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कलक्टर के आदेशों को नहीं मानना कंपनी की हठधर्मिता को बताता है। यह कहना सही नहीं है कि कंपनी 60 दिन में 60 करोड़ रूपये बचा चुकी है। पिछले 3 माह में प्रतिदिन औसतन 2774 क्लेम 1.5 करोड रूपये के बुक किये गये। परन्तु जिस अस्पताल को असंबद्ध किया गया है, उस अस्पताल में मरीज इलाज नहीं करा सकते हैं। अन्य अस्पताल में जाकर इलाज लिया जा सकता है।
	एक ओर कंपनी डी–एम्पेनल्ड कर रही है वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग निजी अस्पतालों को भामाशाह योजना में जुडने की गुहार	अस्पतालों का योजना से जुड़ना एक सतत् प्रक्रिया है, योजना से जुडने के लिए न्यूनतम निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी निजी अस्पताल योजना में संबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य कार्यकारी

क्र.सं.	प्रकाशित समाचार	विभागीय टिप्पणी
	कर रहा है। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने 40 अस्पतालों को पत्र लिखकर भामाशाह योजना में जुडने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया है कि सरकार की ओर से चलाई जा रहीं योजना से जुड़कर आमजन को बेहतर इलाज देने में सहयोग करें।	अधिकारी द्वारा भी अधिक अस्पतालों को योजना से संबद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 141 निजी अस्पताल ऐसे थे, जिन्होंने संबद्ध होने के बाद भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ नहीं किया था। ऐसे अस्पतालों को योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र लिखकर योजना में कार्य करने के लिए पत्र लिखा गया।

(बी. एल. कोठारी)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी